न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
16 / 2012 / प्रा.पत्र / 2012	27.05.2012	28.07.2022

सत्यनारायण गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक

.... प्रार्थी

बनाम

1–दूध विक्रेता श्री प्रहलाद जाट पुत्र श्री काशी राम जाट निवासी ग्राम आकोडिया पोस्ट देवली तहसील देवली जिला टोंक प्रोपराईटर
2–मैसर्स चौधरी दूध डेयरी चर्च रोड देवली जिला टोंक

.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं दण्डनीय धारा 51

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

:–निर्णय–: दिनांक 28.07.2022

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 26.02.2012 को समय 10:00 एएम पर मैसर्स चौधरी दूध डेयरी चर्च रोड देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहाँ पर श्री प्रहलाद जाट पुत्र श्री काशी राम जाट मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा डेयरी का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु चार ड्रमों में लगभग 120 लीटर **मिश्रित दूध** रखा हुआ था जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री प्रहलाद जाट को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री प्रहलाद जाट व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **मिश्रित दूध** वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, दो लीटर खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **मिश्रित दूध** को हिलाकर एकरूप कर चार साफ व सूखी प्लास्टिक की बोतलों में बराबर–बराबर डालकर प्रत्येक बोतल में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 40–40 बूंदें डालकर बोतलों को अच्छी तरह एयरटाईट बंद किया एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–259 एवं पूर्ण विवरण अंकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग--अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–259 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक एवं जन विश्लेषक अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./12/1170 दिनांक 29.03.2012 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट स. एल.एस./265/एफएसएसए/2012/269 दिनांक 06.03.2012 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जाँच करवाने हेतु कय किया गया **मिश्रित दूध अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्म के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 03.08.2012 को अप्रार्थी सं. 1 व 2 की ओर से श्री रमेश शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं दिनांक 21.02.2013 को जवाब पेश कर बहस हेतु समय चाहा परन्तु अभिभाषक अप्रार्थीगण को कई अवसर देने के बावजूद भी बहस नहीं की गई और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **मिश्रित दूध** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **मिश्रित दूध** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000 (अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 28.07.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 28.07.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0